

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1013

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 2 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण 1946 (शक) को दिया जाना है

राजस्व वृद्धि

1013. श्री राजू विष्ट:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की राजकोषीय नीतियों ने भारत की अनुमानित 8-10 प्रतिशत राजस्व वृद्धि में योगदान दिया है;
- (ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों विशेषकर राज्य जीएसटी संग्रहण में 13-14 प्रतिशत की वृद्धि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कर अनुपालन में सुधार लाने और अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल को करों के अंतरण में वृद्धि हुई है;
- (घ) यदि हां, तो समग्र कर संग्रहण को बढ़ाने और राज्यों विशेषकर पश्चिमी बंगाल को समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और
- (ङ) वैश्विक आर्थिक अस्थिरता से संभावित जोखिमों को कम करने और राजस्व वृद्धि के प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने में राज्यों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): भारत में लगातार राजस्व वृद्धि देखी गई है। पिछले छह वर्षों के लिए केंद्रीय निवल अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह और निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय निवल अप्रत्यक्ष कर राजस्व	निवल प्रत्यक्ष कर संग्रहण
2018-19	9,37,321	11,37,718
2019-20	9,53,513	10,50,681
2020-21	10,74,810	9,47,176
2021-22	12,89,662	14,12,422
2022-23	13,81,935	16,63,686
2023-24	14,95,853	19,60,166

कर अनुपालन में सुधार और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के सरकार के प्रयासों के कारण पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों को कर हस्तांतरण बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 से पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों को कर हस्तांतरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

समग्र कर संग्रह को बढ़ाने के लिए उठाए गए नीतिगत उपाय इस प्रकार हैं:

- **व्यक्तिगत आयकर का सरल बनाना-** व्यक्तिगत आयकर का सरलीकरण- वित्त अधिनियम, 2020 ने व्यक्तिगत करदाताओं को निर्दिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाने पर कम स्लैब दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करके आयकर रिटर्न दाखिल करना सरल बना दिया।
- **काला धन अधिनियम-** विदेशों में जमा काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 (काला धन अधिनियम) लागू किया गया है, इससे आयकर रिटर्न दाखिल करने में स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ा है।

- **बेनामी कानून-** बेनामी संपत्ति को जब्त करने और बेनामीदार और लाभकारी स्वामी के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा व्यापक रूप से संशोधित किया गया था।
- **नया फॉर्म 26एस** - इस नए फॉर्म में स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह, निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन (एसएफटी), और करों का भुगतान, मांग और वापसी, लंबित और पूर्ण कार्यवाही की सभी जानकारी शामिल है। इसके अलावा, फॉर्म 26एस में एसएफटी डाटा का ब्यौरा करदाताओं को उनके लेनदेन के बारे में पहले से ही जागरूक करता है और उन्हें अपनी वास्तविक आय का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **आयकर रिटर्न की प्री-फिलिंग-**
कर अनुपालन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, व्यक्तिगत करदाताओं को प्री-फिल्ड आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रदान किए गए हैं। प्री-फाइलिंग के लिए जानकारी के दायरे में वेतन से आय, बैंक ब्याज, लाभांश आदि जैसी जानकारी शामिल है।
- **अपडेटेड रिटर्न-** आयकर अधिनियम की धारा 139(8ए) करदाता को प्रासंगिक मूल्यांकन की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर कभी भी अपना रिटर्न अपडेट करने की सुविधा देती है ताकि वह स्वेच्छा से चूक या गलतियों को स्वीकार करके और यथा प्रयोज्य अतिरिक्त कर का भुगतान करके अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सके। इसके अतिरिक्त, करदाताओं को अपडेटेड आयकर रिटर्न में अपनी अघोषित या कम रिपोर्ट की गई आय का खुलासा करने की अनुमति देने के लिए ई-सत्यापन योजना शुरू की गई थी।
- **टीडीएस/टीसीएस के दायरे का विस्तार** - नए करदाताओं को आयकर विभाग के दायरे में लाने के लिए, टीडीएस/टीसीएस के दायरे का विस्तार किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में नकदी निकासी, विदेश से धन प्रेषण, लक्जरी कार की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागी, माल की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण, एलआरएस के तहत धन प्रेषण, विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की खरीद आदि को शामिल किया गया है।
- **उन चालानों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना**, जिनका विवरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके बाहरी आपूर्ति विवरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन चालानों के संबंध में पात्र क्रेडिट तक सीमित कर दिया गया है, जिनका विवरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
- **पंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-1 में धारा 37 के तहत बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है**, यदि उसने पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है।
- **बी2बी इलेक्ट्रॉनिक चालान को 5 करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार वाले करदाताओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है।**
- **केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 75(12) में स्पष्टीकरण जोड़ा गया है कि यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपने रिटर्न में घोषित बाहरी आपूर्ति के देय कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे उसकी स्व-मूल्यांकित देयता माना जाएगा तथा इसे तदनुसार वसूला जा सकेगा।**
- **जीएसटी पंजीकरण आवेदनों के बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित किया गया है।** इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी नियमों के नियम 8(4ए) में संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई आवेदक आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनता है, तो उसे भी फोटो खींचने तथा दस्तावेज सत्यापन के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाना होगा। इससे न केवल जीएसटी में पंजीकरण प्रक्रिया मजबूत होगी, बल्कि फर्जी चालान के माध्यम से किए जाने वाले धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में भी मदद मिलेगी।
- **सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 21ए के प्रावधानों के अनुसार समय पर रिटर्न दाखिल करने में चूक करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों से संबंधित पंजीकरण का केंद्रीकृत निलंबन किया जाता है।**
- **सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138ई के तहत गैर-अनुपालन करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए हैं।**

अनुलग्नक 'क'

वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के हस्तांतरण से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25 (11.10.2024 तक)	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	35385.83	38176.74	45710.74	32864.20	152137.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	14643.90	16689.17	19845.22	14267.98	65446.27
3.	असम	28150.55	29694.26	35330.57	25401.28	118576.66
4	बिहार	91352.62	95509.85	113604.49	81677.21	382144.17
5	छत्तीसगढ़	28570.86	32358.26	38481.88	27666.97	127077.97
6	गोवा	3356.98	3665.19	4359.85	3134.50	14516.52
7	गुजरात	31105.78	33034.00	39283.63	28243.59	131667.00
8	हरियाणा	9722.16	10378.00	12345.35	8875.85	41321.36
9	हिमाचल प्रदेश	7349.04	7883.98	9374.72	6740.09	31347.83
10	झारखंड	27734.64	31404.12	37352.35	26854.94	123346.05
11	कर्नाटक	33283.58	34596.18	41192.63	29615.98	138688.37
12	केरल	17820.09	18260.68	21742.92	15632.19	73455.88
13	मध्य प्रदेश	69541.50	74542.85	88665.34	63746.91	296496.60
14	महाराष्ट्र	54318.06	60000.98	71349.75	51298.03	236966.82
15	मणिपुर	6009.65	6795.08	8087.14	5814.32	26706.19
16	मेघालय	6580.63	7286.14	8663.22	6228.56	28758.55
17	मिजोरम	4222.87	4745.25	5647.47	4060.39	18675.98
18	नागालैंड	4875.46	5400.19	6426.82	4620.71	21323.18
19	ओडिशा	38144.79	42989.33	51143.68	36770.20	169048.00
20	पंजाब	15288.79	17163.65	20409.92	14674.01	67536.37
21	राजस्थान	54030.61	57230.78	68063.21	48934.91	228259.51
22	सिक्किम	3353.69	3680.28	4382.44	3150.79	14567.20
23	तमिलनाडु	37458.60	38731.24	46072.28	33124.04	155386.16
24	तेलंगाना	18720.54	19668.15	23742.04	17069.59	79200.32
25	त्रिपुरा	6077.52	6724.23	7996.82	5749.43	26548.00
26	उत्तर प्रदेश	160358.05	169745.30	202619.69	145675.84	678398.88
27	उत्तराखंड	9906.25	10617.01	12627.75	9078.94	42229.95
28	पश्चिम बंगाल	65540.75	71434.93	84971.79	61091.48	283038.95
	कुल जोड़	882903.79	948405.82	1129493.71	812062.93	3772866.25